**प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 69/ 2023)**

तत्काल प्रकाशन के लिए

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

## भादूविप्रा ने "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" पर परामर्श पत्र जारी किया

**नई दिल्ली, 8 अगस्त 2023**: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" पर परामर्श पत्र जारी किया।

2. भादूविप्रा ने 3 मार्च 2017 को केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के अनुरूप प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचा अधिसूचित किया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी जांच के पश्चात, विनियामक ढांचे को 29 दिसंबर 2018 से लागू किया गया ।

3. विनियामक ढांचा 2017 के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों को हल करने के लिए, हितधारकों से उचित परामर्श प्रक्रिया के पश्चात, भादूविप्रा ने 1 जनवरी 2020 को संशोधित ढांचा 2020 प्रस्तुत किया, जिसमें टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 और क्यूओएस संशोधन विनियम 2020 शामिल हैं।

4. कुछ हितधारकों ने माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे और केरल सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 तथा क्यूओएस संशोधन विनियम 2020 के प्रावधानों को चुनौती दी । माननीय उच्च न्यायालयों ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर संशोधित ढांचा 2020 की वैधता को बरकरार रखा ।

5. नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), मल्टी-टीवी होम और दीर्घकालिक सब्स्क्रिप्शन से संबंधित संशोधित ढांचा 2020 के प्रावधानों को लागू किया गया।

6. ब्रॉडकास्टर्स द्वारा नए टैरिफ की घोषणा करने के बाद, भादूविप्रा को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ), एसोसिएशन ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) और उपभोक्ता संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए। हितधारकों ने विशेष रूप से प्रसारकों द्वारा घोषित पे चैनलों और बुके की दरों में वृद्धि के कारण सिस्टम में नई दरों को लागू करने और लगभग सभी बुके को प्रभावित करने वाले विकल्पों के सूचित अभ्यास के माध्यम से उपभोक्ताओं को नई टैरिफ व्यवस्था में स्थानांतरित करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला।

7. संशोधित विनियामक ढांचे 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता तय करने के लिए, भादूविप्रा के तत्वावधान में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी।

8. समिति ने विचार के लिए संशोधित ढांचे 2020 से संबंधित कई मुद्दों को सूचीबद्ध किया। हालाँकि, हितधारकों ने भादूविप्रा से उन महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत दूर करने का अनुरोध किया जो संशोधित ढांचे 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं।

9. हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को हल करने के लिए; भादूविप्रा ने संशोधित ढांचा 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लंबित बिंदुओं / मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणी मांगने के लिए 7 मई 2022 को "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए नियामक ढांचे से संबंधित मुद्दे" पर परामर्श पत्र जारी किया ।

10. परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद, भादूविप्रा ने 22 नवंबर 2022 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंत:संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया गया:

क) टीवी चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर ढील जारी रहेगी
ख) बुके में शामिल करने के लिए टीवी चैनल का एमआरपी 19/- रु रहेगा।
ग) बुके बनाते समय निजी चैनलों की कीमत के योग पर 45% की छूट रहेगी।
घ) ब्रॉडकास्टर द्वारा बुके पर 15% की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी ।

11. भादूविप्रा द्वारा बाद में विचार करने के लिए हितधारकों की समिति ने कई अन्य मुद्दों की भी सूची तैयार की । इसके अलावा, प्राधिकरण ने प्रसारकों, एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटरों और एलसीओ के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान कई अन्य मामले सामने आए। इसमें भादूविप्रा ने विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए तमाम प्रासंगिक सुझावों पर विचार किया ।

12. हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए और अन्य हितधारकों द्वारा सुझाए गए प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ, इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता से संबंधित शेष मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्राधिकरण हितधारकों की टिप्पणियों के लिए यह परामर्श पत्र जारी कर रही है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से 5 सितंबर 2023 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रति-टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, तो वे 19 सितंबर 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in तथा jtadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

13. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से टेलीफोन नंबर +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

(**वी. रघुनंदन**)

**सचिव, भादूविप्रा**